फर्द अहकाम (नियम 26)

यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

श्रवण कुमार बनाम आरिफ अली आदि

अन्तर्गत धारा :— धारा 88, 188 आर.टी.ए.

वाद संख्या :— ...110..... / 2023

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी

24.05.2023 वादी श्रवण कुमार पुत्र कुरड़ाराम जाति कुम्हार निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 जरिये अधिवक्ता श्री कुन्दनलाल प्रस्तुत कर निवेदन किया कि घोषित किया जावे कि चक 11 आर.डब्ल्यू.डी. के प.नं. 220/376(34) के किला नं. 17 व 18 कुल 0.506 हैक्टर भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। शाश्वत व्यादेश बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावे कि चक 11 आर.डब्ल्यू.डी. के प.नं. 220/376(34) के किला नं. 17 व 18 कुल 0.506 हैक्टर भूमि को रहन, बैय या अन्य किसी तरीके से अन्तरित करने व मौजूदा राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करवाने से निषेद्व रहे।

प्रस्तुत वाद पत्र के सन्दर्भ में सरिस्ता की रिपोर्ट हो चुकी है। मुताबिक सरिस्ता रिपोर्ट प्रार्थना पत्र को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलबी हेतु सम्मन जारी किये जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 20.06.2023 को पेश हो।

(margin: २ जि.०२ [illegible] प्रति सं 1, 3, 4 / 1145 / 12.6.23)

(हस्ताक्षर)
(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

20.6.23 वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी सं. 2 की ओर से श्री जगदीश प्रसाद शर्मा अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 3 की ओर से श्री संजय शर्मा अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया शा.प. किया गया पत्रावली वास्ते जवाब-दावा व शेष प्रतिवादीगण तलबी दिनांक 10.8.23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

10.8.23 वकील उभयपक्ष उपस्थित उपखण्ड अधिकारी महोदय अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1/11/23 को पेश है। (हस्ताक्षर)